बिन्दुवार जवाब मंगवाने हेतु तहरीर जारी हो मिसल दिनांक 16/12/19 को पेश हो।

16/12/19 वकुलाय उभयपक्ष जवाब तहसीलदार पेश हुआ। शामिल मिसल किया गया। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु मिसल दिनांक 27/12/19 को पेश हो।

27/12/19 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित फरिकैन हाजिर। बहस वाद पत्र पर उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि भूमि ख० न० पुराने 282 रकबा 23 बिघा दो बिस्वा ग्राम फतेहपुर मोमिनान तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के मूल नये ख० न० 283 रकबा 2.70 है०, ख० न० 288 रकबा 1.86 है० किता-2 कुल रकबा 4.56 है० जिनके मिन नये खसरा नम्बर 283/1 रकबा 2.43 है०, ख० न० 288/1, रकबा 1.85 है०, ख० न० 283/1, रकबा 0.27 है०, 288/2 रकबा 0.01 है० बने है जिनमें भूमि ख० न० नये 283/2 रकबा 2.43 है०, खसरा न० 288/1, रकबा 1.85 है० के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। वाद ग्रस्त भूमिया वादीगण की पैतृक भूमियां है जिनपे वक्त बुजुर्गान से

27.12.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	सीवं डोल कर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने लापरवाही पूर्वक वादीगण के पुराने ख० न० 282 रकबा 23 बिघा दो बिस्वा जो 5.7750 हे० बना है के नये ख० न० 283 रकबा 2.70 हे०, ख० न० 288 रकबा 1.86 हे० किता-2 रकबा 4.56 हे० दर्ज कर वादीगण का रकबा 1.2150 हे० कम कर दर्ज कर दिया तथा नया नक्शा को भी कतई गलत दर्शा दिया। वादीगण जो कि पुराने ख० न० 304 से बने नये ख० नम्बरो मे से 1.2150 हे० भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने तथा पुराने नक्शा के मुताबिक ही नये नक्शा मे दुरुस्ती करवाने के अधिकारी है अतः तन ग्राम फतेहपुरा ओगिनान के पुराने ख० न० 304 से बने नये ख० न० 192, 217, 313 किता-3 रकबा 6.90 हे० मे से भूमि ख० न० 283/2, 288/1 की लगती हुयी सीमा के सहारे सहारे वादीगण को रकबा 1.21 हे० का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
	जवाब मे प्रतिवादी सं० 1 ने कथन किया कि वादीगण ने हस्तगत वाद पत्र केवल मात्र माननीय हाईकोर्ट जयपुर द्वारा ~~[illegible]~~ सिविल रिट (PIL) पीटिशन NO 37027/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 8/1/19 की पालना रुकवाने की नियत से पेश किया गया। वादीगण द्वारा भूमि ख० न० 217 रकबा 2.80 किस्म गैरमुमकिन
	23.12.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर अतिक्रमण कर रखा है अतः अतिक्रमण हटाने को रूमवान माफ हेतु वाद प्रस्तुत किया है अतः वादीगण का वाद पक्ष सव्यय खारिज फरमाया जावे।	
	हमने उभय पक्षकाण सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवंम भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त तुलनात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भूमिधारी पुराने ख० नं० 282 रखबा 23 बीघा 2 बिस्वा से बने नये ख०नं० 288 रखबा 1.86 283 रखबा 2.70 है० व ख०नं० 193 रखबा 0.45 है कुल किता-3 है०, ख० नं० 282 के कुल रखबा 5.01 है० बने है। ख० नं० 282 के पुराने रखबे 23 बीघा 2 बिस्वा को हैक्टयर प्रणाली मे परिवर्तन करने पर रखबा 5.84 है० बनता है जबकी इस बने नवीन ख० नं० 193, 283, 288 का कुल रखबा 5.01 है० बनता है जो पुराने रखबे के मुकाबले 0.83 है० दौराने भू-प्रबन्ध कम किया गया है। वादीगण द्वारा पुराने ख० नं० 304 से बने नये ख० नं० 192, 313 व 217 में से अपनी खातेदारी भूमि 283/2, 288/1, मे 1.2150 है० रखबा बढाने का अनुतोष चाहा है। जबकी भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला की तुलनात्मक रिपोर्ट मे यह कहीं भी स्पष्ट नही होता है कि वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि का रखबा नवीन ख० नं० 192, 313, व 217 मे बया	

[signature]
..12.19

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

को भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16.12.19
के अनुसार वादीगण को अनुतोष देय नहीं
है। साथ ही भू-अभिलेख निरीक्षक खण्डेला द्वारा प्रस्तुत
माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा D B
सिविल रिट (PIL) पीटिशन सं० 27027/2018
के पारित निर्णय दिनांक 8/1/2019 के अवलोकन
से भी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा भूमि ख० नं० 217 किस्म गै० मु० नाला
को अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया
गया है। उसको रुकवाने मात्र हेतु पेश किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य वादीगण
का प्रस्तुत वाद पत्र माननीय राजस्थान
उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिका
सं० 27027/2018 की पालना को विलम्बित करने
की नियत व किसी तरह का cause of Action
उत्पन्न नहीं होने के कारण वादीगण का वाद
पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।
पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम
हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21.12.19
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

(1) सोनी देवी पत्नी फूला
(2) रामकरण (3) सागर (4) महिपाल पुत्रगण फूला ....

बनाम

(1) भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला
(2) पटवारी हल्का गोकुल का बास ....

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 47 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री भजनाराम एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री अतिरिक्त... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादीगण द्वारा पेश हस्तगत वाद पत्र माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिका सं0 27027/2018 की पालना को विलम्बित करने हेतु वादीगण के किसी तरह का cause of Action उत्पन्न नहीं होने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है।

.... खर्चा .... बाबत .... निज .... मुबलिग .... इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 12 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत .... (हस्ताक्षर) 27.12.19

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

मुहर (मुहर: उपखण्ड अधिकारी ...)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
... हुक्मनामा			मुतफरिक		
			मीजान		

Scanned by CamScanner

4. समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फतेहपुरा भोमियान तहसील

जिला सीकर राज. (वादीगण)

बनाम

3. नायब तहसीलदार खण्डेला

4. गिरदावर हल्का खण्डेला

5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर

(प्रतिवादीगण)

27.12.19

उपखण्ड अधिकारी

खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner